



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव

विकास एवं सुशासन उत्सव

लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण

मुख्य अतिथि

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

28 मार्च, 2025 | चित्रकूट धाम स्टेडियम, भीलवाड़ा | अपराह्न 12:00 बजे

शुभारंभ / विमोचन

- राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारम्भ
- सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन
- ई-उपचार एप का लांच

योजनाओं के दिशा निर्देश/आदेश

- स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण
- फायर एन.ओ.सी. प्रक्रिया का सरलीकरण
- रजिस्ट्री अब सप्ताह में 2 दिन प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक
- हरित अरावली विकास परियोजना
- नये जिलों में डी.एम.एफ.टी. गठन
- राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भण्डार

विकसित राजस्थान - समृद्ध राजस्थान

विचार बिन्दु

दूसरों पर शक करना कभी-कभी गुनाह हो जाता है। -कुरान

क्या सिद्धारमैया सरकार का ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का कोई औचित्य है?

सू

त्रैके अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिनांक 14.03.2025 को केवोटे की मीटिंग में कन्टकट द्राम्परेंटी इन पफलक प्रोजेक्टोंन्ट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर किया गया। इसे विभासामा ऐसे पूर्व संकारने ने जट से के समय योग्यता की थी कि यार्जनिक कार्यों के ठेकों में 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जावेगा और यह आरक्षण श्रेणी।। वी के अन्तर्गत आयोगा यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों, नियमों और संस्थानों द्वारा बहुत से विभिन्नों की खाते पर लग जाती है। एसी और औबीसी को इसमें घलते से आरक्षण हो जाती है। जो श्रेणी।। १६ में है। अब इसमें श्रेणी।। वी को जोड़ा जाता है। जिसमें मुस्लिम समुदाय है। आरक्षण वर्ग के ऐसे ठेकों २ करोड़ टक के ठेकों के अधिकारी (पार्टी) होंगे। इस प्रकार कन्टकट में साकारी टेन्डर व ठेकों में मुस्लिमों को 4% कोटा देने की तैयारी करती है। यह कहा गया है कि 4% आरक्षण औबीसी केटेगरी में होगा, किन्तु ये 4% मुस्लिम औबीसी केटेगरी के मापदण्डों की पूर्ण नहीं करते।

भारत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय राजनीकी के बिरुद्ध खुला युद्ध छेड़ने की सांस्करिक राजनीकी के बिरुद्ध कहा। इससे पूर्व संकारन ने संवैधानिक सिद्धारमैया एक्ट पर साम्प्रदायिक तुष्टिकरण को केवोटे के लिये एसी को बढ़ावा दी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 अप्रैल 2025 को सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकोंरों के लिये 4% आरक्षण के कन्टकट सरकार के प्रतावत का असंवैधानिक कदम कहा है और इसे न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। दिनांक 24.03.2024 के संसद में भी भाजपा ने आरक्षण का विरोध करते हुए, उसे असंवैधानिक बतलाया।

आरक्षण के प्रावधान संसदीय विधायक के भाग 1 में जो कोटा मिलता है। कुछ वोगों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 330, 331, 332, में आरक्षण का विशेष नियन्त्रित का उल्लेख है। अनुसूचित जातियों व अनुच्छेद जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख हमें भाग 16 में मिलता। अनुच्छेद 3.34 में लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के लिये एसी के आरक्षण के प्रावधान है। विछोंके के आरक्षण का प्रावधान भी आप इसी भाग में पढ़ सकते हैं। संवैधानिक संघीयता से अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया है। यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक द्रिटि से पिछड़े हुये नारायणिकों की उन्नति के लिये है।

संवैधानिक को अल्पसंख्यक शब्द को योग्य अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में मिलता है। अल्पसंख्यक शब्द को अल्पसंख्यक होने के नामे आरक्षण है। जबकि अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों के अतिरिक्त जैन, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय भी हैं। अर्थिक आधार पर तथा प्रोजेक्टों में भी आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का प्रावधान 4% आरक्षण के कांग्रेस के लिये एसी के लिये है।

केरल, विहार, तमिलनाडु, अन्ध्रप्रदेश, परिचम बंगाल व उत्तरप्रदेश में मुस्लिमों के लिये आरक्षण का विवेष प्रावधान है। साथांशुक विधायक संघीयता के अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में योग्य है। इसके कुछ लोगों के समूह की वजह कोई विशेष व्यापार, लिपि, संस्कृति है तो उनके अनुसार आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार धर्म व भाषा के अधिकार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार भी है। सरकार उनके कार्यों में कोई दबाव भी नहीं देता। धर्म व भाषा के अधिकार पर अल्पसंख्यकों को संचालित करने का अधिकार भी है। भारतीय संघीयता में योग्य होने के लिये एसी के आरक्षण के प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में Right to Equality यानी समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में योग्याना की वजह भारतीय जनता, लिंगा का जन स्थान के आधार पर बदलाव नहीं होता। यह साथ ही योग्याना की वजह भारतीय जनता और शैक्षिक द्रिटि से पिछड़े हुये नारायणिकों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये व्यवस्था करने से अन्य कोई बात होने पर उपब्रह्म करने से निवारित नहीं करता।

अनुच्छेद 1 के लिये कोई भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार विविध प्रकाशित कर करेगी। अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिये कोई अधिकार नहीं है। अब योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिये कोई अधिकार नहीं है। अब योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिये कोई अधिकार नहीं है। अब योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिये कोई अधिकार नहीं है। अब योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिये कोई अधिकार नहीं है। अब योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिये कोई अधिकार नहीं है। अब योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) में योग्याना की वजह भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को भाग 2 (सी) इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और यातीर्सी को अल्पसंख्यक करने के लिये एसी के लिये

